


दिनांक 19 से 21 अगस्त 2015 तक जनपद-वाराणसी की भ्रमण आख्या।

भ्रमणकर्ता टीम –

1. डा0 प्रवेश कुमारी, संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
2. श्री रणविजय सिंह, प्रोग्राम असिस्टेंट, एन.यू.एच.एम., परिवार कल्याण।
3. अरुण श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अराजी कला:



- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था थी।
- प्रचार प्रसार सामग्री पर्याप्त मात्रा में प्रदर्शित की गयी थी।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रतिमाह औसतन 100 डिलीवरी करायी जा रही थी।
- पैथोलोजी में एक ही एल.टी. कार्यरत था एवं टी.बी. एवं अन्य सभी जॉर्चें एक ही जगह निष्पादित की जा रही थी।
- बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था। एजेन्सी के द्वारा सप्ताह में एक या दो बार ही गाडी भेजकर बायो मेडिकल वेस्ट मंगाया जाता है।
- स्टोर रुम में औषधियां व्यवस्थित रूप से रखी गयी थी। ड्रग स्टॉक रजिस्टर एवं इक्सपायरी रजिस्टर सही नहीं बनाये गये थे।
- लेबर रुम में हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी की लाइन लिस्टिंग नहीं की जा रही थी।
- पार्टो ग्राफ नहीं बनाये जा रहे थे।
- कोल्ड चेन रुम में बिना थर्मामीटर के ही लॉग बुक भरी जा रही थी।
- वैक्सीन स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं था और ना ही वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर पूरा था।
- खुली वैक्सीन, खुले वैक्सीन कैरियर में स्टोर करके रखी थी, जिससे कि वेस्टेज फैक्टर ज्यादा था।
- पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी और वैक्सीन मगाने हेतु इन्डेन्ट भी जिला मुख्यालय नहीं भेजा गया था।
- एम.सी.टी.एस. आपरेटर द्वारा अन्य कामों की वजह से एम.सी.टी.एस. की इन्टी लगभग 20 प्रतिशत थी।
- एम.सी.टी.एस. वर्कप्लान नियमित रूप से निकालकर समस्त ए.एन.एम. को टीकाकरण दिवस के दिन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य केन्द्र में टीकाकरण किया जा रहा था।
- टीकाकरण के उपरान्त बची हुई वैक्सीन को वापस नहीं भेजा जा रहा था।
- उपयोग में लायी गयी सिरिंज को काटा नहीं जा रहा था तथा उन्हें अनयूज सिरिंज के साथ रखा गया था।



उपकेन्द्र भिखारीपुर, ब्लॉक—अराजी लाइन्स

- उपकेन्द्र में सफाई व्यवस्था ठीक थी।
- बिजली कनेक्शन तथा रनिंग वाटर की व्यवस्था नहीं थी।
- उपकेन्द्र में एक नियमित ए.एन.एम. तैनात है।
- उपकेन्द्र पर प्रचार प्रसार सामग्री उपलब्ध नहीं थी, ए.एन.एम. के द्वारा स्वयं के बनाये हुये पोस्टर, प्लान एवं अन्य सामग्री लगी थी।
- उपकेन्द्र पर प्रत्येक माह 1 से 2 सामान्य प्रसव कराये जाते हैं।
- लेबर रूम में लेबर टेबल और कैलीपैड, अन्य कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।
- ए.एन.एम. द्वारा नियमित टीकाकरण का कार्य क्षेत्रवार सम्पादित किया जा रहा था।

- ए.एन.एम. द्वारा अवगत कराया गया कि गत् छोटी एवं बड़ी आयरन की गोली उपलब्ध नहीं करायी जा रही है तथा मांगे जाने पर फार्मासिस्ट द्वारा मना कर दिया गया था, परन्तु ब्लाक मुख्यालय पर स्टॉक में आयरन उपलब्ध थी।



मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी को उपरोक्त सभी तथ्यों से अवगत कराया गया तथा निम्न सुझाव दिये गये—

- राज्य स्तर से समय-समय पर उपलब्ध कराये गये दिशा-निर्देशों को सम्बन्धित समस्त स्वास्थ्य इकाईयों को ससमय उपलब्ध कराया जाय तथा बैठकों में समस्त अधिकारियों को दिशा-निर्देशों एवं अवमुक्त की गयी धनराशि के नियमानुसार समुचित व्यय हेतु अवगत कराया जाय।
- बायों मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हेतु चयनित एजेन्सी के कार्यों का निरीक्षण करते हुये तथ्यों का संज्ञान लें, जिससे कि बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया नियमित रूप से संचालित की जा सके।

- बड़ी एवं छोटी आयरन की गोलियों की उपलब्धता अतिशीघ्र करायी जाय।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अराजी लाइन्स में एम.सी.टी.एस. एवं एच.एम.आई.एस. की नियमित रूप से फीडिंग करायी जाय, जिससे कि गर्भवती महिलाओं के एम.सी.टी.एस. नम्बर ससमय पी.एफ.एम.एस. में अंकित किया जा सके और जे.एस.वाई. लाभार्थियों का भुगतान ससमय किया जा सके।
- एम.सी.टी.एस. में हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी की लाइन लिस्टिंग की जाय तथा उनके सन्दर्भन की समुचित व्यवस्था की जाय।
- एम.सी.टी.एस. वर्कप्लान नियमित रूप से निकालकर समस्त ए.एन.एम. को टीकाकरण दिवस से पहले उपलब्ध कराया जाय तथा नियमित रूप से उसका अपडेट कराया जाय।
- समस्त इकाईयों पर मानकानुसार प्रचार प्रसार सामग्री तथा लेबर रूम के प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदर्शित किये जायें।
- समस्त इकाईयों में उपयोग किये जाने वाले उपकरणों का नियमानुसार स्टरलाइजेशन किया जाय, आवश्यकतानुसार नये उपकरण भी उपलब्ध कराये जायें।

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक,
परिवार कल्याण,
लखनऊ।

सेवा में,

उपमहाप्रबन्धक, एम. एण्ड ई.,
एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम.,
लखनऊ।

पत्रांक:—एस0पी0एम0यू0 / नि0आ0 / 2014—15 /

दिनांक:

विषय:— जनपद—वाराणसी में दिनांक 19—08—2015 से 21—08—2015 तक किये गये भ्रमण की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबन्ध में अवगत कराना है कि मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिये गये अनुमोदन के क्रम में अधोहस्ताक्षरी एवं गठित टीम के सदस्यों द्वारा दिनांक 19—08—2015 से 21—08—2015 तक जनपद वाराणसी की स्वास्थ्य इकाईयों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण आख्या की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

संलग्नक— निरीक्षण आख्या

भवदीय,

(डा0 प्रवेश कुमारी)
संयुक्त निदेशक,
परिवार कल्याण